

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) प्रकृत भवन / मूकस्थ के निर्माण की स्वीकृति स्वाभिव्यक्ति नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकृत सिड्डी केवल आपत्कीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 724 दिनांक 13/11/2020

प्रार्थी गोविंदलाल चौधरी डा० श्री जोधाप्रम पटेल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7750/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2062/2264, 2265

दिनांक 13/12/2020 को जमा करा दी है ।

18/11/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

पुष्पा कुंठा  
(भतीजा)

नं प्र 252 024 न

जी +1  
आवासीय

P.No = 253-वी पुष्पा  
अपुष्पा